प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 410/357 रकबा 5.4086 हैक्टेयर ग्राम पूनियों की बेरी तहसील धोरीमन्ना में आवागमन हेतु अपीलांट एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 414/335 रकबा 18.3080 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र तलब अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट्स की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 19.09.2025 को पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2026 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2025 में रेस्पो. संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 422/408 में से लघुतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध है, जिसकी दूरी केवल 140 मीटर ही है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 180 मीटर लंबे विल्कप के रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित किया गया है जो धारा 251–ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। खसरा संख्या 422/408 में से रास्ता दिया जाता है तो उक्त रासते की कुल 140 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौड़ाई अनुसार रकबा 0.1120 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज हो रही है, जबकि अपीलाधीन रास्ते से रकबा 0.1440 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में खराब होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया पालन किये बिना अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2026 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को अधिक काश्तकारों की जोत तक पहुंचने वाला रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए की मंशाअनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.10.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते के बजाय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा नंबर 422/408 में लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है, जिसकी दूरी मात्र 140 मीटर बतायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लघुतम एवं निकटतम दूरी के प्रावधान/सिंद्धांत से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 180 मीटर लंबाई का रास्ते का आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता दिये जाने से अधिक काश्तकार रास्ते से जुड़ने के कथन किये गये है, किंतु अपीलाधीन रास्ते से किन काश्तकारों की जोत तक रास्ता सुगत होगा, इस बाबत किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है तथा मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125/2024 अनवान कुंभाराम व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2026 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 422/408 के खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

खसरा नंबर 422/408 में लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है, जिसकी दूरी मात्र 140 मीटर बतायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लघुतम एवं निकटतम दूरी के प्रावधान/सिंद्धांत से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 180 मीटर लंबाई का रास्ते का आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता दिये जाने से अधिक काश्तकार रास्ते से जुड़ने के कथन किये गये है, किंतु अपीलाधीन रास्ते से किन काश्तकारों की जोत तक रास्ता सुगत होगा, इस बाबत किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये है तथा मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 125/2024 अनवान कुंभाराम व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2026 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 422/408 के खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर